



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062020-219971
CG-DL-E-17062020-219971

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1700]
No. 1700]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2020/ज्येष्ठ 27, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2020/JYAISTHA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

का.आ. 1916(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में NH-72B के कि.मी. 89.500 से कि.मी. 97.000 (पाँवटा साहिब - गुम्मा सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-मंडल अधिकारी (सिविल), चोपल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई

के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में NH-72B के कि.मी. 89.500 से कि.मी. 97.000 (पाँवटा साहिब – गुम्मा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश		जिले का नाम: शिमला			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नेरवा					
गांव का नाम: रोहाना					
1	378	सरकारी	चारागाह	0.0952000(Hectare)	0.0952000
2	387	सरकारी	चारागाह	0.1030000(Hectare)	0.1030000
3	397	सरकारी	चारागाह	0.0623000(Hectare)	0.0623000
4	401	सरकारी	चारागाह	0.0110000(Hectare)	0.0110000
5	405/1	सरकारी	चारागाह	0.0870000(Hectare)	0.0870000
6	446/396	निजी	बंजर कदीम	0.0060000(Hectare)	0.0060000
7	451/396	निजी	बंजर कदीम	0.0033000(Hectare)	0.0033000
8	453/396	निजी	बंजर कदीम	0.0131000(Hectare)	0.0131000
कुल				0.3809	0.3809

[फा. सं. RW/NH-12013/20/2010/SP(C/5)/P-9/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2020

S.O. 1916(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of NH-72B in the

stretch of land from Km. 89.500 to Km. 97.000 (Paonta Sahib – Guma Section) in the district of SHIMLA in the state of HIMACHAL PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer (Civil), Chopal, Distt. Shimla, HIMACHAL PRADESH in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 89.500 to Km. 97.000 (Paonta Sahib – Guma Section) of NH-72B in the district of SHIMLA in the state of HIMACHAL PRADESH

State: HIMACHAL PRADESH			District: SHIMLA		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nerwa					
Village: Rohana					
1	378	Government()	Charagah	0.0952000(Hectare)	0.0952000
2	387	Government()	Charagah	0.1030000(Hectare)	0.1030000
3	397	Government()	Charagah	0.0623000(Hectare)	0.0623000
4	401	Government	Charagah	0.0110000(Hectare)	0.0110000
5	405/1	Government()	Charagah	0.0870000(Hectare)	0.0870000
6	446/396	Private()	Banjar Kadim	0.0060000(Hectare)	0.0060000
7	451/396	Private()	Banjar Kadim	0.0033000(Hectare)	0.0033000
8	453/396	Private()	Banjar Kadim	0.0131000(Hectare)	0.0131000
Total				0.3809	0.3809

[F. No. RW/NH-12013/20/2010/SP(C/5)/P-9/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.